कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 27/08/2022

अति आवश्यक– सूचना

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र कमांक 691/64/आउशि/छा/2022 भोपाल दिनांक 25/08/2022 के पत्र के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर महाविद्यालय में सत्र 2021–22 में B.A.LL.B, B.B.A.LL.B, LL.B & LL.M के SC/ST/OBC के प्रथम वर्ष समस्त विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियो ने सत्र 2021–22 में अभी तक MPTASS Portal पर छात्रवृत्ति आवेदन निम्न कारणो से नही हो पाया है वें दिनांक 29/08/2022 को दोपहर 5.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी देवें।

1. वर्ष 2021–22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जिनका ऑनलाईन प्रवेश के समय जाति का प्रमाण पत्र नही होने के कारण सामान्य श्रेणी प्रवेश लिया है एवं वर्तमान में उनके पास जाति का प्रमाण पत्र है तो पात्रता के अनुसार छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते है।

2 वर्ष 2021–22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जिनकी हितग्राही प्रोफाईल बन गई है किन्तु छात्रवृत्ति का आवेदन नही कर पाये।

3. वर्ष 2021–22 में प्रथम वर्ष में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जो कोई तकनीकि त्रुटि के कारण आवेदन नही कर पा रहे है। **जैसे आपका ऐडमिशन डाटा अपलोड नही है आदि ।**

यदि किसी विद्यार्थी को उपरोक्तानुसार समस्या आ रही है तो वे दिनांक 29/08/2022 को निर्धारित समय तक अनिवार्यतः कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी जानकारी प्रस्तुत करें। निर्धारित दिनांक के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन नही होता है तो इसके लिये संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

27.08.22

(डॉ.इनामुर्रहमान)
प्राचार्य,
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर